न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 66/2021
जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 शंकरलाल, जाति माली, निवासी डालमिया की ढाणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. हुक्मीचन्द लाम्बीवाला, अध्यक्ष श्री चार मरूवा सेवा ट्रस्ट तोला सेही रोड, डालमियों की ढाणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हुक्मीचन्द पुत्र स्व0 औंकारमल, जाति ब्राहमण, निवासी डालमियों की ढाणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं वास्तविक निवासी पंचायत समिति के सामने, लक्ष्मीभवन, वार्ड नं0 14 चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सुरजगढ, जिला झंझुनूं (राज.व)

––रेस्पोडेन्ट्स

––

प्रथम अपील अ0धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील सुरजगढ दिनांक 12.08.2021 बमुकदमा उनवानी हुक्मीचन्द लाम्बीवाला बनाम जगदीशप्रसाद प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0नं0 01/2021

––

उपस्थित

1. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 3 राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के आदेश दिनांक 12.08.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट हुक्मीचन्द ने अपने आपको गलत रूप से अध्यक्ष श्री चार मरूवा सेवा ट्रस्ट तोला सेही रोड डालमियो की ढाणी बनाकर न्यायालय तहसीलदार तहसील सुरजगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 05.07.2021 को निर्देश पारित किया कि हल्का पटवारी नियमानुसार रास्ता खुलवाये व मौका रिपोर्ट पेश करे। दिनांक 06.07.2021 को अपीलान्ट को दिनांक 22.07.2021 की पेशी का नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। दिनांक 22.07.2021 को अपीलान्ट [illegible] अभिभाषक उपस्थित हुये व जबाब नोटिस पेश किया। इस पर पत्रावली मौका जांच के लिये [illegible] 08.2021 को पेश होना दर्ज किया गया। दिनांक 12.08.2021 को न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ [illegible] मौका नही देखा और बिना मौका देखे, बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 12.08.2021 [illegible] किया जिसमें मरूवा चमत्कारी बालाजी धाम तक ख0नं0 366 [illegible] सहारे रास्ता खोले [illegible] आदेश पारित किया व रूकावट पैदा न करने का आदेश पारित किया। इस निर्णय दिनांक 12.08.2021 को अपास्त करवाने के लिये अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखी आपति के अनुसार पेश है कि तहसीलदार सुरजगढ जिला झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 12.08.2021 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना पत्र की पुश्त पर तहसीलदार सुरजगढ ने यह निर्देश पारित किया कि मूल ही पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि मन्दिर का रास्ता खुलवाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ ने दिनांक 05.07.2021 को ही उक्त निर्देश दे दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:38 IST
Reason: SelfAttested

था। इससे साफ जाहिर है कि न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने विधिक प्रक्रिया न अपनाकर मनमाने तौर पर गलत आदेश पारित किया है। मूल आवेदन पत्र के साथ दिनांक 06.07.2021 को पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की जिसके मुताबिक जमीन ख0न0 366 रकबा 0.5600 हैक्टर वाके ग्राम डालमियां की ढाणी की खातेदारी अपीलान्ट हिस्सा 1/30 व जीताराम हिस्सा 1/5, तेजाराम हिस्सा 1/5, नरेश कुमार हिस्सा 1/90, पुजा 1/90 हिस्सा, बनारसी हिस्सा 1/30, महावीर 1/5 हिस्सा, मुरारीलाल 1/30 हिस्सा, शिवलाल 1/5 हिस्सा होना दर्ज किया। इस प्रकार पटवारी ने जमीन ख0न0 366 रकबा 0.5600 हैक्टर ने उक्त वर्णित टिनेन्टस होना दर्ज किया। तहसीलदार सुरजगढ ने जमीन ख0न0 366 के सभी काश्तकारो को पक्षकार न बनाकर निर्णय पारित करने मे भूल की है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2021 में श्री चार मरूवा चमत्कारी बालाजी मन्दिर के रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पटवारी हल्का ने उक्त बालाजी धाम की खातेदारी की जमीन होने का अंकन अपनी रिपोर्ट में नही किया। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात का अवलोकन किये बिना ही विवेचन के गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 नें वास्तविक तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य दर्ज किये है। जमीन ख0नं0 366 व ख0नं0 350 के दक्षिण में सडक पुख्ता है। ख0नं0 350 में से ख0नं0 353 का रास्ता रहा है जो आगे ग्राम तोला सेही को जाता है। ख0नं0 350 में से रास्ता मौजूद है लेकिन ख0नं0 353 में प्रवेश करने की जगह दक्षिण पश्चिमी कोने पर अस्थाई दिवार का निर्माण कर रजिशवंश यह गलत आवेदन पत्र पेश किया गया है। जमीन ख0नं0 352 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी है व ख0नं0 351 रकबा 0.0400 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ है। इस जमीन की राजस्व रिकार्ड सम्वत 2074 से 2077 में खातेदारी औकारमल, नन्दलाल, पितराम, बेणीप्रसाद, रामजीलाल, सुरजमल के नाम दर्ज है। जमीन ख0नं0 353 रकबा 2.7300 हैक्टर ख0नं0 364 रकबा 6.6800 हैक्टर वाके ग्राम ढाणी डालमिया है व राजस्व रिकार्ड सम्वत 2074 से 2077 में जमीन की खातेदारी औकार, जगदीशप्रसाद, नन्दलाल, प्रेमकुमार, विमला, मोतीलाल, हुक्मीचन्द, हीरालाल के नाम दर्ज है। उक्त तथ्यों को भी छुपाया गया है। यह दर्ज नही किया गया कि उक्त व्यक्तियों की सह खातेदारी में जमीन कैसे आयी। यह भी दर्ज नही किया गया कि उक्त व्यक्तियो की सह खातेदारी में श्री चार मरूवा चमत्कारी बालाजी धाम कब बना व किसने स्थापित किया व इसमें किस ख0नं0 की जमीन समायोजित हुई। क्योंकि चाह ख0नं0 351 रकबा 0.04 हैक्टर से ख0नं0 353 की सिंचाई होती है। इस कारण किस्म जमीन चाही दर्ज है। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को देखे बिना व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, बिना सुने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने श्री चार मरूवा सेवा ट्रस्ट, तोलासेही रोड डालमियो की ढाणी के रास्ते के बाबत नोटिस दिया लेकिन नोटिस में यह दर्ज नही किया कि बालाजी धाम मन्दिर किस ख0नं0 की जमीन पर किसके द्वारा बनाया हुआ है। कानून से मूर्ति मन्दिर की जमीन पर खातेदारी अधिकार पैदा नही होते क्योकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। जबकि उक्त अनुसार ख0नं0 351, ख0नं0 352, ख0नं0 353 ख0नं0 364 वाके ग्राम ढाणी डालमिया उक्त वर्णित व्यक्तियो की खातेदारी की है व राजस्व रिकार्ड में उक्त बालाजी धाम का कोई अंकन नही है। इससे साफ सिद्ध है कि गलत तथ्य दर्ज कर गलत प्रकरण दर्ज करवाया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार भूमिधारी के वास्तविक सुखाचार में बिना सहमति के रास्ते में बाधा कारित की जाती है तो अन्य भूमि धारक के खिलाफ कार्यवाही अवरोध हटाने की जा सकती है। न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने क्षेत्राधिकार के बाहर स्थाई निषेधाज्ञा व उसका विवरण देखा जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय को सुखाधिकार का बिन्दु भी देखा जाना चाहिये था। सुखाधिकार [illegible] में परिभाषित नही किया गया है लेकिन सुखाधिकार अधिनियम की धारा 4 में सुखाधिकार परिभाषित किया गया है व धारा 5 में चिरकालीन सुखाधिकार का प्रावधान दिया हुआ है। [illegible] 20 [illegible] से भी अधिक समय से हक से बिना किसी रूकावट के शान्ति पूर्वक रास्ता का [illegible] में लेने का कथन करना व साबित करना आवश्यक है। सुखाधिकार का बिन्दु न तो प्लीड किया गया और नही साबित किया गया। किसी भी व्यक्ति का सुखाधिकार के बिन्दु पर कोई भी शपथ पत्र [illegible] हैं। इस कारण केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर ही निर्णय पारित करने में भूल की है। सुखाधिकार भूमि के उपयोग के लिये होता है। भूमि के उपयोग का सुखाधिकार न साबित किया और न ही प्लीड किया गया। प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट पटवारी के अनुसार तथाकथित रास्ता मौके पर मौजूद नही रहा। रिपोर्ट में रास्ता न होने के बाबत कथन दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी में भी रास्ता चालू होने का कथन नहीं है। तथाकथित रास्ता कब से कब तक कितना चौडा चालु रहा और उक्त वर्णित खातेदारान ने कब किस प्रकार रास्ता बन्द किया। इन तथ्यों का विवरण नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि गलत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:38 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] तथ्यों को छुपाया व गलत आवेदन दिया। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपने आपको चिडावा का निवासी होना व वर्तमान में ई–57 प्रथम मंजिला कालकाजी नई दिल्ली– 110019 का निवासी बताकर अपीलान्ट व अन्य के खिलाफ 17.06.2021 को हुक्मीचन्द बनाम जगदीश प्रसाद आदि आवेदन पत्र अ.धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु0नं0 58/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ में पेश किया जो विचाराधीन है। इस प्रार्थना पत्र में रास्ता प्रचलित होना नहीं बताया व प्रचलित रास्ते की चौडाई बढाने के लिये आवेदन नही किया बल्कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने ख0नं0 366 के खातेदारान् में से व्यक्तियो को पक्षकार बनाकर रास्ता दिलवाये जाने की मांग की। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2021 से पूर्व से यह स्वीकृत तथ्य रहा कि विवादित रास्ता नही रहा व न सुखाधिकार रहा व अपनी स्वीकारोक्ति से बदल नही सकते। न्यायालय सिविल न्यायाधीश चिडावा में मूर्ति मन्दिर व हुक्मीचन्द ने अपीलान्ट आदि के खिलाफ दावा उनवानी मूर्ति मन्दिर व हुक्मीचन्द बनाम जगदीश प्रसाद आदि दावा स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 18/2021 किया जो विचाराधीन है। इस प्रकार धारा 251:2: के प्रावधान के अनुसार सक्षम न्यायालय में नियमित दावा किया गया है जिसमें अन्तिम रूप से रास्ते का बिन्दू तय होना है। इस दावे में भी रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपने आपको चिडावा का निवासी होना व अपने मोबाईल नम्बर 9311403252 होना दर्ज किया है व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का पुजारी श्यामसुन्दर पुत्र जुगलकिशोर निवासी चिडावा होना दर्ज किया। इस प्रकार ग्राम ढाणी डालमिया की सरहद में इनके कथन के अनुसार यह आबाद नही है बल्कि कस्बा चिडावा के रहने वाले है। गलत प्रकरण दर्ज करवाया है। उक्त दावे में यह भी दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 रजिस्टर्ड संस्था है। धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट के लिये राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 है। जिसमें प्रावधान है कि ट्रस्ट की सम्पति का लेखा जोखा होता है व ट्रस्टीज का विधान होता है व उक्त अधिनियम 1959 के तहत देवस्थान विभाग को कार्यवाही करने का अधिकार होता है व राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था के बारे में धारा 73 सिविल न्यायालय के लिये प्रतिबन्धित करती है। अगर ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड नहीं है तो दावा लाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक नही है। इस प्रकार किसी भी रूप में रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है व खारीज होने योग्य है। न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 12.08.2021 की पालना में पुलिस की मदद से जमीन ख0नं0 366 की खडी फसल में जे0सी0बी0 चलाकर दिनांक 27.08.2021 को फसल को नष्ट कर दिया व कह दिया कि रूकावट हटा दी है। जबकि वास्तव में ख0नं0 366 के खातेदारान की खडी फसल को मौके पर नष्ट करवाया गया जबकि दिनांक 12.08.2021 के निर्णय की कोई सूचना अपीलान्ट को नही थी क्योकि मौका देखने के लिये पेशी रखी गयी थी व तहसीलदार सुरजगढ दिनांक 12.08.2021 को मौके पर नही आये व बिना सुने, बिना सूचना दिये निर्णय पारित कर दिया व गैर कानुनी रूप से ख0नं0 366 के भाग की जमीन की फसल को आंशिक रूप से नष्ट करवा दिया। लेकिन रास्ता ख0नं0 350 में से होने के कारण ख0नं0 366 में से रास्ता न है व न कभी रहा है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ के निर्णय दिनांक 12.08.2021 को खारीज किया जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारीज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय तहसीलदार सुरजगढ ने मौका नही देखा और बिना मौका देखे, बिना अपीलान्ट को सुने दिनांक 12.08.2021 को निर्णय पारित किया है। जमीन ख0नं0 352 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकीन [illegible] है व ख[illegible] रकबा 0.0400 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ है। इस जमीन की राजस्व रिकार्ड सम्वत 2074 [illegible] 2077 [illegible] खातेदारी औकारमल, नन्दलाल, पितराम, बेणीप्रसाद, रामजीलाल, सुरजमल के नाम दर्ज है। ज[illegible] ख0नं0 353 रकबा 2.7300 हैक्टर ख0नं0 364 रकबा 6.6800 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] सम्वत 2074 से 2077 में जमीन की खातेदारी औकार, जगदीश[illegible], [illegible]र, विमला, मोतीलाल, हुक्मीचन्द, हीरालाल के नाम दर्ज है। उक्त तथ्यों को भी छुपाया गया है। यह दर्ज नही किया गया कि उक्त व्यक्तियों की सह खातेदारी में जमीन कैसे आयी। यह भी दर्ज नही किया गया कि उक्त व्यक्तियो की सह खातेदारी में श्री चार मरूवा चमत्कारी बालाजी धाम कब बना व किसने स्थापित किया व इसमें किस ख0नं0 की जमीन समायोजित हुई। क्योंकि चाह ख0नं0 351 रकबा 0.04 हैक्टर से ख0नं0 353 की सिंचाई होती है। इस कारण किस्म जमीन चाही दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को देखे बिना व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, बिना सुने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सुरजगढ ने श्री चार मरूवा सेवा ट्रस्ट, तोलासेही रोड डालमियो की ढाणी के रास्ते के बाबत नोटिस दिया लेकिन नोटिस में यह दर्ज नही किया कि बालाजी धाम मन्दिर किस ख0नं0 की जमीन पर किसके द्वारा बनाया हुआ है। कानून से मूर्ति मन्दिर की जमीन पर खातेदारी अधिकार पैदा नही होते क्योकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। जबकि उक्त अनुसार ख0नं0 351, ख0नं0 352, ख0नं0 353 ख0नं0 364 वाके ग्राम ढाणी डालमिया उक्त वर्णित व्यक्तियो की खातेदारी की है व राजस्व रिकार्ड में उक्त बालाजी धाम का कोई अंकन नही है। इससे साफ सिद्ध है कि गलत तथ्य दर्ज कर गलत प्रकरण दर्ज करवाया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार भूमिधारी के वास्तविक सुखाचार में बिना सहमति के रास्ते में बाधा कारित की जाती है तो अन्य भूमि धारक के खिलाफ कार्यवाही अवरोध हटाने की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अलग–अलग न्यायालयों मे वाद दायर कर रखे है। जब न्यायालय मे धारा 251 का प्रकरण लम्बित है तो धारा 251 क मे दूसरा प्रकरण दर्ज नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने दस्तावेज सूची किता 2 पेश कर वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के मौके पर प्रसिद्व बालाजी मन्दिर है एवं चार मरूवा कुआ स्थित है। अपीलान्ट ने लॉक डॉउन मे रास्ता बन्द किया था। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के मौके पर काफी पुराना प्रचलित रास्ता रहा है। उक्त रास्ते पर अन्य खातेदारों को भी कोई आपत्ति नही रही है। विवादित भूमि का मौका निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ, तहसीलदार सूरजगढ एवं पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के अनुसार विवादित भूमि के मौके पर रास्ता होने के संबंध मे शपथ पत्र व रास्ता खुलवाने के लिए पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अन्त मे वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने निवेदन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा विधि अनुसार निर्णय दिनांक 12.08.2021 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के मौके पर 100 साल पुराना रास्ता रहा है जिसे अपीलान्ट ने बन्द कर दिया था। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस एवं बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन कर मनन किया। वकील रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बहस से साफ जाहिर है कि विवादित भूमि के मौके पर प्रसिद्व बालाजी मन्दिर एवं चार मरूवा कुआ स्थित है। अपीलान्ट ने लॉक डॉउन मे रास्ता बन्द किया था। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के मौके पर काफी पुराना प्रचलित रास्ता रहा है। उक्त रास्ते पर अन्य खातेदारों को भी कोई आपत्ति नही रही है। राजकीय अभिभाषक ने भी विवादित भूमि के मौके पर 100 साल पुराना रास्ता होने की पुष्टि की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मातहत रेकार्ड आदेश [illegible] नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय [illegible]नाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:38 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

जिला कलक्टर झुंझुनूं